

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

वित्त (नियम) विभाग, मुख्यालय

क्रमांक:एफ4/मु./वित्त/नियम/36/2016/1986

दिनांक:- 30-03-2016

कार्यालय आदेश

निगम कर्मचारियों को स्थानीय सवारी भत्ता (Local Conveyance) के सम्बन्ध में निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 11/2016 दिनांक 26.02.2016 की पालना में कार्यालय आदेश संख्या एफ-2/36/लेखा/नियम/86/10516 दिनांक 07.08.1986 में वर्णित पुनर्भरण की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	विवरण	दर ₹0 प्रति कि.मी.
1.	स्वयं का वाहन कार स्कूटर मोटर साईकिल आटो रिक्शा साईकिल आदि	4.00 2.00
2.	किराये का वाहन कार जीप आटोरिक्शा (थ्रीव्हीलर) रिक्शा तांगा	4.00 2.00
3.	पब्लिक बस, टेम्पू रेल मेट्रोरेल	वास्तविक किराया
4.	विधि शाखा में कार्यरत प्रभारी अधिकारी, प्रतिदिन बैंक के कार्य के लिए आने जाने वाले कर्मचारी, न्यायालय हेतु लगाये गये कर्मचारी, राज्य सरकार के कार्यालयों में प्रायः जाने वाले कर्मचारी	300.00 रुपये अधिकतम प्रतिमाह

उक्त संशोधित दरे दिनांक 01.04.2016 से प्रभावी होगी ।

(राजेश यादव)

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक:- 30.03.2016

क्रमांक:एफ4/मु./वित्त/नियम/36/2016/1986

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 2 कार्यकारी निदेशक(), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 3 महा प्रबन्धक(), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 4 उप महा प्रबन्धक ()/कार्यकारी प्रबन्धक, ()रा.रा.प.प. निगम, मु जयपुर ।
- 5 उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करावें ।
- 6 निगम सचिव, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 7 मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, के कार्यशाला, रा.रा.प.प. निगम,
- 8 लेखाधिकारी() रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 9 मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प. निगम,
- 10 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 11 आदेश/रक्षित पत्रावली ।

Mr. Vian

(जी.डी.व्यास)

वित्तीय सलाहकार